ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/2020

उमेश कुमार –बनाम–राज्य

रेख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरः–	अभियुक्ति
	आवेदक उमेश कुमार, पिता मनीलाल चौधरी, ग्राम सलैया, पो0–बरवां, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–बरकट्ठा, थाना–बरकट्ठा, थाना नं0–0114, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 159, प्लॉट नं0 3529, रकबा 02 डी0 भूमि बिक्रेता रामेश्वर प्रसाद महतो से क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0–435R27/2019-20 द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न अस्वीकृति की सूचना में अस्वीकृति का कारण राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। अंचल निरीक्षण का मंतव्य तकनिकी कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी का मंतव्य भूमि की बिक्री जिस जमाबंदी से की गयी है उस जमाबंदी के ऑनलाईन पंजी–II में खेसरावार भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं है और न ही पूर्व केवाला उपलब्ध है। केवाला के उपलब्धता के पश्चात खेसरावार भूमि दर्ज करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई के पश्चात दिनांक 11.12.2020 को इस वाद को आदेश पर रखा गया लेकिन उसी दिन श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर इस वाद में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होनें उल्लेखित किया है कि वर्तमान में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय अन्तर्गत श्रीमान् सिविल जज जूनियर डिविजन में स्वत्व वाद सं0 11/2017 के तहत प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला अर्जुन प्रसाद बनाम रामेश्वर महतो के नाम से निष्पादन हेतु लंबित है तथा उमेश कुमार के दाखिल खारिज वाद सं0 418/2018 को अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा भूमि के विवादित होने तथा मामला व्यवहार न्यायालय में चलने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है। पुनः उमेश कुमार द्वारा दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी बरकट्ठा के कार्यालय में आवेदन दिये जिसे दाखिल खारिज वाद सं0 149/2019 द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात उमेश कुमार द्वारा प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज हेतु पुनः आवेदन किया, जिसे दाखिल खारिज वाद सं0 435/2019–20 से अंचल अधिकारी द्वारा पुनः अस्वीकृत कर दिया गया। साथ ही अर्जुन प्रसाद द्वारा उपायुक्त महोदय हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक 13.11.2020 को समर्पित आवेदन की प्रति संलग्न किया है, जिसमें उन्होने सूचित किया है कि श्री उमेश कुमार द्वारा जाली कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि को बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए जमीन के निबंधित केवाला करने पर तत्काल स्थायी रूप से रोक लगाने हेतु जिला अवर निबंधक, हजारीबाग तथा अवर निबंधक, बरही को निदेशित करने का अनुरोध उपायुक्त, हजारीबाग से किया गया। आपति आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस वाद में आगे सुनवाई की आवश्यकता के आधार पर पुनः सुनवाई तिथि निर्धारित की गयी तथा दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित	

(9)

अगली तिथि दिनांक 16.01.2021 को प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहें एवं द्वितीय पक्ष अर्जुन प्रसाद उपस्थित हुए तथा दाखिल खारिज वाद सं0 149/18–19 व 418/18–19 में अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा जारी अस्वीकृति की सूचना ऑनलाईन प्रति साक्ष्य हेतु दाखिल किया गया। सुनवाई की अगली तिथि 30.01.2021 को प्रथम पक्ष पुनः अनुपस्थित रहें एवं द्वितीय पक्ष अर्जुन प्रसाद उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखें। सुनवाई की अगली तिथि 06.02.2021 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए। विपक्षी अर्जुन प्रसाद द्वारा न्यायालय को जानकारी दी गयी की श्री उमेश कुमार द्वारा प्रश्नगत भूमि की बिक्री विक्रय पत्र सं0 2090 दिनांक 24.11.2020 द्वारा रोहित प्रसाद को कर दी गयी है। उनके द्वारा अवर निबंधक, बरही के कार्यालय से प्राप्त विक्रय पत्र सं0 2090 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। साथ ही प्रश्न उठाया गया कि श्री उमेश कुमार का दाखिल खारिज तीन–तीन बार अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा अस्वीकृत करने के बाद भी उनका नाम पंजी–II में कैसे दर्ज हो गया। इस प्रकार श्री उमेश कुमार द्वारा पंजी–II की जाली प्रति बनाकर विक्रय पत्र संख्या 2090 द्वारा प्रश्नगत भूमि की बिक्री कर दी गयी है। न्यायालय में उपस्थित प्रथम पक्ष श्री उमेश कुमार द्वारा, जाली कागजात होने के बात से इन्कार किया गया तथा श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा दाखिल पंजी–II की प्रति का सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में तत्काल मेरे द्वारा ऑनलाईन से पंजी–II का सत्यापन किया गया, जिसमें पंजी–II में रामेश्वर महतो का नाम दर्ज पाया गया।

पुनः दिनांक 08.02.2021 को उमेश कुमार तथा रामेश्वर प्रसाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रामेश्वर प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा मेरी जमीन हडपने के लिए तरह–तरह की साजिश रचा जा रहा है तथा मुझे एवं क्रेता उमेश कुमार को बेवजह परेशानी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं ऑनलाईन पंजी–II में मेरा नाम (रामेश्वर महतो) अंकित है तथा फर्जीवाडा कर अर्जुन प्रसाद द्वारा उमेश कुमार का नाम करवाकर जाली साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः जांचोपरान्त अर्जुन प्रसाद के विरूद्ध विधि अनुकुल कार्रवाई जाय तथा प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

दोनों पक्षों द्वारा दी गयी दलील एवं समर्पित आवेदन की सत्यता की जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 81/रा0, दिनांक 08.02.2021 द्वारा अवर निबंधक, बरही को पत्र प्रेषित किया गया तथा निबंधित विक्रय पत्र संख्या 2090, दिनांक 24.11.2020 की सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अवर निबंधक, बरही के पत्रांक 14, दिनांक 11.02.2021 द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं0 2090, दिनांक 24.11.2020 की सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध कराया गया। सम्पूर्ण विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया लेख्यकारी उमेश कुमार द्वारा लेख्यधारी रोहित प्रसाद को प्रश्गत भूमि मौजा बरकट्ठा, थाना सं0 114, खाता सं0 159, प्लॉट सं0 3529, रकबा 02 डी0 भूमि का विक्रय किया गया है। विक्रय पत्र में दर्ज है कि "रामेश्वर प्रसाद द्वारा उपरोक्त सम्पति दिनांक 27.06.2018 ई0 को लेख्यकारी के पास बिक्री कर दिये जिसका बुक नं0 01, भोल्यूम नं0 102, पेज सं0 329 से 358 विक्रय पत्र सं0 1687, सन् 2018 है, जो दिनांक 27.06.2018 ई0 को बरही रजिस्ट्री ऑफिस से निबंधित है, जिसका रसीद भी कट चुका है"। साक्ष्य स्वरूप पंजी–II की प्रति संलग्न है, जिसमें वर्तमान भाग–10 पृष्ट सं0 33 पर प्रश्नगत भूमि की जमाबदी उमेश

...र पिता मनीलाल चौधरी दर्शाया गया है।

दोनों पक्षों को सुनने समर्पित कागजात तथा अवर निबंधक, बरही द्वारा उपलब्ध कराये गये विक्रय पत्र सं0 2090, दिनांक 24.11.2020 के सम्पूर्ण प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री उमेश कुमार द्वारा प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु तीन बार अंचल कार्यालय, बरकट्ठा में आवेदन समर्पित किया गया तथा तीनों बार उनका आवेदन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा अस्वीकृत कर दिया गया जबकि एक बार आवेदन अस्वीकृत होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील किया जाना था। अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील आवेदन लंबित रहते हुए उनके द्वारा अपने नाम से पंजी–II की जाली कागजात बनाकर प्रश्नगत भूमि की विक्री कर दिया गया एवं इसके लिए भी उनके द्वारा विपक्षी अर्जुन प्रसाद का ही दोषी ठहराया गया। अवर निबंधक, बरही द्वारा भी बिना पंजी–II के जांच किये ही विक्रय पत्र सं 2090, दिनांक 24.11.2020 को निबंधित कर दिया गया, जबकि पंजी–II के ऑनलाईन जांच से स्पष्ट पता चलता है कि प्रश्नतग भूमि पंजी–II में रामेश्वर महतो के नाम से दर्ज है। इस प्रकार श्री उमेश कुमार द्वारा पहले अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को धोखा देने का प्रयास किया गया तथा असफल होने पर अपने नाम से पंजी–II का फर्जी कागजात बनाकर प्रश्नगत भूमि की बिक्री विक्रय पत्र सं0 2090, दिनांक 24.11.2020 द्वारा कर दिया गया।

अतएव प्रश्नगत भूमि के विवादित होने के आधार पर श्री उमेश कुमार का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा अवर निबंधक, बरही को आदेश दिया जाता है कि फर्जी कागजात समर्पित करने आरोप में श्री उमेश कुमार पिता मनीलाल चौधरी ग्राम सलैया, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग के विरूद्ध पुलिस थाना में FIR दर्ज कराते हुए विधि संगत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अवर निबंधक कार्यालय के संबंधित कर्मियों जिनके द्वारा दाखिल कागजातों का मिलान एवं सत्यापन किया जाता है के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

01/03/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

01/03/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

ज्ञापांक 133/200 बरही, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर निबंधक, बरही को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

01/03/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2023.02.12 21:33:51 +05:30
Location: 192.168.100.22